

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।

पत्रांक-तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016-17/422

दिनांक-30/11/2016


// कार्यालय ज्ञाप //

चिकित्सा अनुभाग-8 के अधिसूचना संख्या- 1281/पॉच-8-2005-120 रिट/2001 दिनांक 16, मई, 2005 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (सी०ओ०टी०पी०ए०) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी सुनिश्चित किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० की अध्यक्षता में निम्नलिखित वर्किंग ग्रुप (Working Group) का गठन किया जाता है :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०। — अध्यक्ष
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
3. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
4. निदेशक, (अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सक) सूपर-स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ। — सदस्य
5. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
7. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
9. प्रो० (डा०) सूर्यकान्त, विभागाध्यक्ष, रेस्पेरेट्री मेडिसिन, के०जी०एम०यू०, लखनऊ। — सदस्य
10. विभागाध्यक्ष (अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सक), आनकोलाजी, के०जी०एम०यू०। — सदस्य
11. विभागाध्यक्ष (अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सक), ओरल एण्ड मैकजीलोफेसियल विभाग के०जी०एम०यू०, लखनऊ। — सदस्य
12. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
13. राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र०, अथवा उनके द्वारा नामित राज्यस्तरीय अधिकारी। — सदस्य
14. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ०प्र०, लखनऊ। — संयोजक
सदस्य
15. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, ओरल हेल्थ कार्यक्रम, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ। — सदस्य
16. राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ०प्र०, लखनऊ। — सदस्य
17. स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि (राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा नामित)। — सदस्य


(कमश.....2)

2- उक्त समिति द्वारा सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन, प्रवर्तन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर की गई कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा की जायेगी।


(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

पत्रांक-तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016-17/423-27 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त सम्बन्धित मा0 सदस्यगण।
5. गार्ड फाईल।


(आलोक कुमार)
राज्य नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।